Regarding strict monitoring of Cooperative Societies

डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगे (लातूर) : सभापति महोदय, महाराष्ट्र राज्य में पतसंस्थाओं के अनियंत्रित कामकाज के कारण कई जिलों की पतसंस्थाओं में करोड़ों रुपये के घोटाले प्रकाश में आ रहे हैं । इससे मध्यम वर्ग के हज़ारों निवेशकों को अपनी पूँजी से हाथ धोना पड़ रहा है । ऐसे कई परिवार हैं, ज़िन्होने अपने जीवन भर की कमाई इन पतसंस्थाओं में निवेश की थी और अब उन्हें इन पतसंस्थाओं में निवेश किए गए पैसे वापस मिलने की संभावना कम हो गई है ।

सभापति महोदय, इस समस्या के स्थाई समाधान के लिए केंद्र सरकार को तत्काल ध्यान देना चाहिए । इन पतसंस्थाओं के कामकाज को नियंत्रित करने और आम निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए । ? (व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय सदस्य, आप एक मिनट रुक जाइए । मेरी यह रिक्वेस्ट है कि चैम्बर में फोटो न ली जाए । प्लीज, फॉटोग्राफ्स और वीडियोज़ चैम्बर्स में मत लीजिए ।

? (व्यवधान)

डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगे : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सहकारिता मंत्री जी से मांग करता हूँ कि वे पतसंस्थाओं के कामकाज पर एक कार्यदायी संस्था गठित कर ऐसी पतसंस्थाओं को अधिक नियंत्रण में रखने, उनके लेनदेन का नियमित ऑडिट कराने और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सख्त कानून बनाए । साथ ही पतसंस्थाओं में घोटाले करने वालों की पहचान करने, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई किए जाने और जमाकर्ताओं को उनके पैसे एक समय सीमा के अंदर वापस दिए जाने के लिए ठोस कदम उठाएं ।